

38


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 457] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 1985/आश्विन 3, 1907
No. 457] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 25, 1985/ASVINA 3, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1985

अधिसूचना

का. आ. 689(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में और इस विषय पर पहले की सभी अधिसूचनाओं के अतिक्रमण में, राष्ट्रपति निदेश देते हैं कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक (चाहे वे प्रशासक, उप-राज्यपाल और मुख्य आयुक्त के नाम से जाने जाते हों) राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन तथा अगले आदेशों तक संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के बारे में औषध सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम,

1940 (1940 का 23) के अंतर्गत राज्य सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निष्पादन करेंगे ।

[सं. यू-11030/4/84 यू टी एल]

एच. वी. गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 25th September, 1985

NOTIFICATION

S.O. 689(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution and in supersession of all previous notifications of the subject, the President hereby directs that subject to his control and until further orders, the Administrator of every Union territory (whether known as Administrator, Lieutenant Governor or Chief Commissioner) shall, in relation to the Union territory concerned, also exercise all the powers and discharge functions of the State Government under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940).

[No. U-11030/4/84-UTL]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.